# न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.37 / 17 दिनांक 15.11.17

सरकार बनाम रणजीत

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खडब ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम खडब तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1927रकबा 18.20 है0 किस्म जमीन बंजड में से0.50 है0 पर रणजीत पुत्र बूचाराम जाति खटीक निवासी खडब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये । अतः गैर सायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गैर किया तो पाया कि गैरसायल रणजीत पुत्र बूचाराम जाति खटीक निवासी खडब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम खड़ब तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1927 / 18.20है0 किस्म जमीन बंजड मे से 0.50 है0 पर जोत कर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिकमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः रणजीत पुत्र बूचाराम जाति खटीक निवासी खडब तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम खडब तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1927 / 18.20 है0 किस्म जमीन बंजड मेंसे 0.50 है0 पर अतिकमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 4 रू का पचास गुणा 200 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 15.11.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2017 .. 018 ... के भा० लै० 4 के पृष्ठ संख्या 54 पर 20071 रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली